LLB Part- IInd
Paper- IX th
Moot Court

Introduction

विधि के विद्यार्थियों के लिए कृत्रिम न्यायालय का गठन करना मूट कोर्ट कहलाता है। यह न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या काल्पनिक वाद पर वाद विवाद होता है।

मूट कोर्ट एवं न्यायालय में अंतर :-

मूट कोर्ट विधि के छात्रों के लिए काल्पनिक न्यायालय होता है। इसमें भाग लेकर छात्र व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करते हैं। मूट कोर्ट न्यायालय की न्यायिक शक्तियों का प्रयोग नहीं करता है इसके पक्षकारों के विवादों का निर्णय करने की कोई शक्ति नहीं होती है।

स्टीफेन्स के अनुसार प्रत्येक न्यायालय के तीन संघटक अंग होते हैं;-

(i) वादी
(ii) प्रतिवादी, (iii) न्यायिक शक्ति
~~प्रा~~

वादी:- जो की गई क्षति का परिवाद करता है।

प्रतिवादी;- जिसे समाधान करने के लिए बुलाया जाता है। या जिसके ऊपर क्षति पहुँचाने का आरोप होता है।

न्यायिक शक्ति:- जिसे तथ्य की सत्यता की जाँच तथा उस तथ्य से उत्पन्न विधि का अवधारण करना चाहिए।

न्यायमूर्ति हैक-चन्द के अनुसार, "न्यायालय न्यायिक न्यायाधिकरणों तक सीमित है।"

इस प्रकार न्यायालय प्राधिकरण या न्यायाधिकरण का गठन करने के लिए राज्य की न्यायिक शक्ति का प्रयोग किया जाएगा और यह शक्ति राज्य से प्राप्त की गई होगी।

(i) प्राधिकारी को सौंपी गई शक्ति राज्य की न्यायिक शक्ति होगी।

(ii) शक्ति का स्रोत की विधि से उत्पन्न होना चाहिए

(iii) शक्ति के प्रयोग की रीति
न्यायालय के निर्णयों का अन्त
होती है। वाद को निपटाने के लिए
प्राधिकारी को सामर्थ्य बनाने के दस्तावेजों
के प्रस्तुतीकरण को कार्यान्वित करने
की शक्ति प्राधिकारी को है।

मूट कोर्ट के न्यायाधीश
भारत के राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल
द्वारा नियुक्त कहीं नहीं किया
जाता है। व राज्य की न्यायिक
शक्ति का प्रयोग नहीं करते हैं।
यह एक कृत्रिम न्यायालय होता है
तथा किसी भी विधि विशेषज्ञ
को सम्मिलित कर सकता है, चाहे
वह किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश
रहा हो या नहीं। इसका गठन
वास्तविक पक्षकारों के मध्य विवादों
के निपटारे के लिए नहीं किया जाता
है, बल्कि इसका गठन विधि
की विद्यार्थियों को उन्हें सौंपे वादों
वादों को विधि के सिद्धांतों को
लागू करने का अवसर प्रदान
करने के लिए किया जाता है। इसका
उद्देश्य वकालत की प्रक्रिया
के विद्यार्थियों को भिज्ञ बनाना है,